कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 290 दिनांकः– 18.4.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **गुवा–सलाई पथ के किलोमीटर 2.00 से 11.00 (09 किलोमीटर) में वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् 9.969 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 662 दिनांक 11.04.2017.**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 9.969 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव online तथा hard copy छः प्रतियों में प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक, प्रदेशिक अंचल, चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. इस परियोजना हेतु पूर्व में 9.939 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित किया गया था। परन्तु कतिपय कारणों से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव को Withdraw कर लिया तथा एक Fresh प्रस्ताव 9.969 हे0 हेतु समर्पित किया गया है।
2. प्रस्तावित वनभूमि सारण्डा वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है। वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल ने सूचित किया है कि land schedule के अनुसार ग्राम नुईया के प्लॉट संख्या– 2 में 0.03 हे0 जंगल–झाड़ी पूर्व प्रस्ताव में शामिल नहीं था, को इसमें शामिल करते हुए कुल 9.969 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव समर्पित है। land schedule को अंचल अधिककारी, नोवामुण्डी के द्वारा सत्यापन संबंधी पत्र अपयोजन प्रस्ताव के पृष्ट 40 पर संलग्न है।
3. प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व 0.5 है एवं Eco class I है।
4. संबंधित वन प्रमंडल, पदाधिकारी, सारण्डा ने अपने Part II के कंडिका 11 के उप कंडिका (i) में violation होने की सूचना दी है, अतः यह प्रस्ताव नियमितिकरण से संबंधित है। इसमें दण्डात्मक क्षतिपूरक वन रोपण शर्त लागू होगा।
5. जिले से संबंधित मूलभूत सूचनायें प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. प्रस्ताव के साथ part II एवं III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण्डा, वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा द्वारा अभियुक्ति एवं मंतव्य दर्ज है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण्डा द्वारा दिनांक– 04.04.16 को स्थल निरीक्षण एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल चाईबासा द्वारा दिनांक 10.02.2016, दिनांक 11.04.2017 एवं दिनांक 02.04.2017 को स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन संलग्न है।
7. Part IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।
8. प्रस्ताव के साथ Form A part I में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवेदन तथा अभियुक्ति दर्ज है।
9. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणनासूची संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 के स्केल के टोपोशीट पर प्रस्तावित रोड का रेखांकन कर नक्शा संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि में 16''=1 मील के स्केल पर स्कैच मौजा मैप संलग्न है।

12. FRA 2006 के तहत् उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक– 633 (B) क दिनांक– 16 द्वारा 9.969 हे0 वनभूमि हेतु निर्गत दावा रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रमाण पत्र साथ ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति सलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का geo-reference digital plan संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।
15. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA की राशि उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्धता दी गई है। प्रस्ताव के पृष्ट 21 पर द्रष्टव्य है।
16. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर, टाईगर रिजर्व अथवा राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है, इस हेतु CWLW की मंतव्य की मांग की जा रही है, प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायेगा।
17. प्रस्तावित वनभूमि CA हेतु गैर वनभूमि (GM land) का चयन प्रक्रलन योजना नक्शा संलग्न नहीं है प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि यह प्रस्ताव LWE में है अतः इसकी अवश्यकता है ही नहीं ज्ञातव्य है कि यह परियोजना प्रस्ताव LWE जिला में तो है, परन्तु अपयोजन होने वाली वनभूमि का Area 5 हे0 से अधिक है। अतः CA हेतु (GM land) का चयन प्राक्कलन नक्शा, योजना आवश्यक है, जो प्रस्ताव के साथ नहीं है।
18. प्रस्ताव के साथ Part II के कंडिका V के अनुसार वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण्डा ने उदृत किया है कि प्रस्तावित वनभूमि नुईया PF एवं घाटकुड़ी RF comprising compartment no. 17, 15 एवं 14 में अवस्थित है।
19. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का Land Schedule संलग्न है।
20. वन विभागीय पत्रांक– 4542 दिनांक– 08.10.14 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदिन प्राप्त कर प्रस्ताव को online कर दिया गया है तथा Time line पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।
21. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस परियोजना हेतु कुल 9.969 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत हैं। लोकहित में 9.969 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I की स्वीकृति के लिए अनुशंसा की जाती है।

यह प्रस्ताव LWE जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 5 हे0 तक वनभूमि की स्वीकृति प्रदान करने का राज्य सरकार को शक्ति प्रदत्त है, परन्तु यह परियोजना 9.939 हे0 के लिए है, अतः क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को अग्रसारित करना उचित होगा। प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु नियमितिकरण के लिए स्टेज. I की प्राप्ति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0 यथोक्त ।
प्रस्ताव की तीन मूल प्रति के साथ।

विश्वासभाजन

17/4/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

17.4.17

कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

E-mail cfchaibasa@gmail.com, P.O. Chaibasa, West Singhbhum

पत्र संख्या– 662

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजरभूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

13 APR 2017
डायरी सं० 872

चाईबासा, दिनांक – 11-04-2017

विषयः– गुवा–सलाई पथ कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 (09 कि0मी0) में वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण ,मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत 9.969 हे0 वनभूमि का संशोधित Online अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक– 587 दिनांक– 30.03.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) गुआ–सलाई पथ कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 (09 कि0मी0) में वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत 9.969 हे0 वनभूमि का संशोधित अपयोजन प्रस्ताव समर्पित किया गया है । वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा विषयगत प्रस्ताव को Online दिनांक– 29.03.2017 को Upload किया गया है एवं Generated Hard copy दिनांक– 30.03.2017 को 07 (सात) प्रतियों में उपलब्ध कराया गया है ।

प्राप्त संशाधित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्पवत् है :–

1. गुवा–सलाई पथ (Phase-I) कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 (09 कि0मी0) के चौड़ीकरण/ पुर्ननिर्माण कार्य हेतु – 9.939 हे0 अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे इस कार्यालय के पत्रांक– 350 दिनांक– 17.02.2016 तथा पत्रांक– 840 दिनांक– 22.04.2016 द्वारा (Online) अग्रसारित किया गया । भवदीय पत्रांक– 791 दिनांक– 09.08.2016 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित किया गया है । राज्य सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, राँची के पत्रांक– 4526 दिनांक– 28.09.2016 द्वारा प्रस्ताव पर कुल– 07 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई । उक्त के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी ने अपने पत्रांक– 1081 दिनांक– 19.12.2016 द्वारा वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची से प्रस्ताव को Withdraw करने का अनुरोध किया गया ताकि सरकार के निदेशानुसार fresh proposal समर्पित किया जा सके ।

H/drive Gua-Salai Sudhir

2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा पूर्व में समर्पित गुवा–सलाई पथ (Phase-I) कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 (09 कि0मी0) के चौड़ीकरण/ पुर्ननिर्माण प्रस्ताव को Online समर्पित किया गया था जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर त्रुटियाँ परिलक्षित हुई एवं राज्य सरकार द्वारा त्रुटियों का निराकरण हेतु निदेशित किया गया ।

(iv) प्रस्ताव को Forest Village Conversion की category में रखा गया था जबकि समर्पित प्रस्ताव Road category का है ।

(v) प्रस्ताव के साथ समर्पित Land Schedule में अधिसूचित वनभूमि के अतिरिक्त 0.03 हे0 जंगल–झाड़ क्षेत्र का उल्लेख था परन्तु उक्त जंगल–झाड़ क्षेत्र को प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया था ।

(vi) प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि के समतुल्य गैरभूमि तथा क्षतिपूरक लागत राशि प्रयोक्ता अभिकरण को देय था परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि जमा करने संबंधी वचनवद्धता दी गई ।

इस संदर्भ में दिनांक– 01.12.2016 को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रतिनिधि एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया गया । उल्लेखित सभी बिन्दुओं पर विस्तृत विमर्श के पश्चात् यह तय किया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र के लिए पूर्व में समर्पित प्रस्ताव को withdraw किया जाय एवं Fresh proposal समर्पित किया जाय । प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा इस पर सहमति दी गई । बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्रांक– 2364 दिनांक– 02.12.2016 सभी संबंधित उच्चाधिकारियों को दी गई है । उक्त के आलोक में 0.03 हे0 जंगल–झाड़ी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संशोधित अपयोजन प्रस्ताव Online समर्पित किया गया है ।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल ने प्रासंगिक पत्र द्वारा अपयोजन प्रस्ताव से संबंधित विषयवस्तु निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :–

3. प्रयोक्ता एजेन्सी, कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा पूर्व समर्पित प्रस्ताव Forest Village Conversion Category में सुधार करके Road Category में समर्पित किया गया है।

4. Land schedule के अनुसार ग्राम नुईया के प्लॉट संख्या – 2 में 0.03 हे0 जंगल–झाड़ी पूर्व प्रस्ताव में अपयोजन हेतु शामिल नहीं था, को इसमें शामिल करते हुए कुल 9.969 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव समर्पित है। Land schedule को अचंल अधिकारी, नोवामुण्डी के द्वारा सत्यापन संबंधी पत्र अपयोजन प्रस्ताव के पृष्ट 40 में संलग्न है।

5. LWE क्षेत्र के लिए भारत सरकार ,वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश के अनुसार 5.00 हे0 तक का General approval का प्रावधान है जिसमें क्षतिपूरक वनरोपण की आवश्यकता नही है। प्रस्तावित क्षेत्र 5.00 हे0 से अधिक है। अतः प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी को समतुल्य गैर वनभूमि विभाग को उपलब्ध कराना है एवं लागत वनरोपण राशि भी जमा करनी होगी। परन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि की आवश्यकता नहीं है, का उल्लेख करते हुए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा केवल क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि जमा करने संबंधी बचनवद्धता समर्पित की गई है जो प्रस्ताव में पृष्ट संख्या–21 में संलग्न है।

6. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत 9.969 हे0 भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक 632 (अनु0) दिनांक 26.05.2016 से निर्गत किया गया है जो प्रस्ताव में पृष्ट संख्या–48 में संलग्न है।

7. चूंकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है अतएव इस मामले में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की शर्त्त लागू होगी।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रमण्डलीय कार्यालय के पत्रांक 417 दिनांक 14.03.2015(अनु0–5) जो प्रस्ताव में पृष्ट संख्या–53 में संलग्न है, के द्वारा पथ के चौड़ीकरण ,मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य के लिए पथ के मौजूदा चौड़ाई के अतिरिक्त नये वन क्षेत्र के खण्डन एवं वृक्षों के पातन नही करने का निदेश था लेकिन प्रयोक्ता एजेन्सी ने मौजूदा खण्डित चौड़ाई से अधिक वनभूमि का कटाई–छटाई की गई है जिसके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत उल्लंघन के आरोप में कानूनी कार्रवाई की गई है जिसे Part-II में आवश्यक प्रविष्ट कर दी गई है तथा इसकी विस्तृत सूचना उनके पूर्व संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित है।

9. प्रस्ताव के साथ मार्किंग सूची संलग्न है।

10. प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व 0.5 है एवं Eco Class-I है।

11. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क वन्य प्राणी आश्रयणी बायास्फेयर रिजर्व अथवा राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा KML File एवं उसका Shape File इस नये प्रस्ताव के साथ समर्पित नहीं किया गया । पूर्व प्रस्ताव के साथ समर्पित किया गया था।

13. गुवा–सलाई पथ के फेज–। एवं ।। का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण के बारे में श्री आर0 के0 सिंह बनाम पथ निर्माण विभाग,झारखण्ड सरकार National Green Tribunal,Eastern Zone, Kolkata में एक रिट याचिका दायर की गई है, जो अभी लम्बित है।

14. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा नया अपयोजन प्रस्ताव के साथ संलग्न अनुलग्नक / अभिलेखों का कमवार स्थिति निम्नवत् है :–

Sl. No.	Item	Page No.
1	Online Print of FORM "A"	1-10
2	EERCD Letter No 1081 dt 19.12.2016, 1073 dt 14.12.2016, CF Chaibasa Memo o. 2364 dt 02.12.2016	11-14
3	FORM "A"	15-20
4	Undertaking	21
5	Phatocopy of A.A.	22-23
6	Phatocopy of Agreement.	24
7	Phatocopy of Technical Approval	25
8	Tree List	26-38
9	Joint Inspection Report of Forest & RCD Officer	39
10	FRA Certificate From DC West Singhbhum	40-48
11	Gram Shabha	49-51
12	Land Calculation by DFO	52
13	DFO, Saranda Letter No. 497 dt 14.03.2015	53
14	Reply of short coming for old Proposal No. PP/JH/FVC/18007/2016	54-73
15	Cost Benefit Analysis	83-90

16	Bearings	83-90
17	Photograph	91-98
18	Google Map	99
19	Road Map Showing State Highway "51" Before 1980	100
20	Geo Referance Map/ Bearing Plan	101
21	Topo Sheet No F 45H8 & F45H7	102-103
22	Village Map	104
23	Geo Referance Map	105
24	Aligment Plan	106
25	Alignment on Village Map	107
26	Typical Cross Section	108-120

इसके अतिरिक्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा समर्पित निम्नलिखित अभिलेख संलग्न है :–

15. Form "A" Part-II with Site Inspection Report & Recommendation - Annexure- 1

16. Time Line Details - Annexure-II

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक– 10.02.2016 पुनः दिनांक–02.04.2017 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल की उपस्थिति में किया गया । स्थलीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विषयगत अपयोजन प्रस्ताव से संबंधित सूचनाएँ Form Part-III (Inspection Report and Recommendation) को Website पर दिनांक 11.04.2017 को upload कर दिया गया है एवं Hard copy एवं Timeline details की प्रति तथा विषयगत प्रस्ताव की 05 प्रतियाँ अत्रसह संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित है । प्रक्रियानुसार विषयगत संचिका पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

अनु0– यथोक्त ।

आपका विश्वासी,

11/04/17

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

H/drive Gua-Salai Sudhir

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

RECONSTRUCTION OF GUA SALAI ROAD KM 2.00 TO 11.OO

RECONSTRUCTION OF GUA SALAI ROAD KM 2.00 TO 11.00 KM 9.969 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 9.969 ha. Forest land.

Date :- 17.04.2017

Place :- Ranchi.

Signature

17/4/17

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)